2017/00453

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 119/17

अनवान :

1. महावीर प्रसाद
2. मगनीराम
3. रामसिंह

पुत्रान सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)

– वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र नंदा जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सावित्री
3. बिमला
4. इन्द्रोदेवी
5. निर्मला

पुत्रियां सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. कृष्णलाल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किसनलाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव गुजासरी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 76/78 के खसरा सं0 12/1 की 0.961 है0 खसरा सं0 14/1 की 6.274 है0 कुल 7.233 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम तथा गांव करनपुरा बारानी के खसरा सं0 460/3 में 0.993 है0 खसरा सं0 484 की 2.934 है0, खसरा सं0 485/1 की 0.458 है0 कुल 4.385 है0 बारानी जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 4.132 है0 में वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार कांश्तकार है। चूंकि वादीगण ने अपने दावा में घोषणात्मक अनुतोष के साथ साथ खाता विभाजन का अनुतोष भी चाहा है जिसकी बाबत भी पक्षकारान ने मुताबिक राजीनामा सहमति से नजरी नक्शा संलग्न करवाया है। जिसके अनुसार विवादित आराजी पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. महावीर प्रसाद वादी सं0 1 के हिस्सा में : करणपुरा बारानी के खसरा सं0 484/3 की 1.289 है0, खसरा सं0 485/3 की 0.229 है0 कुल 1.518 है0

बारानी तथा गांव गुंजासरी के खसरा सं0 14/1 की 1.5685 है0 बारानी कृषि भूमि जिसे नक्शा में नीले रंग से दर्शाया गया है।

2. प्रतिवादी सं0 6 कृष्णलाल के हिस्सा में खसरा सं0 484/4 की 0.253 है0 जिसे नक्शा में भूरे रंग से दर्शाया गया है।
3. मगनीराम वादी सं0 2 के हिस्से में : गांव करनपुरा बारानी के खसरा सं0 460/1 की 0.718 है0 खसरा सं0 484/1 की 0.063 है0 खसरा सं0 485/1 की 0.063 है0 कुल 0.844 है0 बारानी तथा गांव गुंजासरी के खसरा सं0 14/1 की 2.4155 है0 बारानी जिसे नक्शा में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।
4. रामसिंह वादी सं0 3 के हिस्से में : करनपुरा बारानी के खसरा सं0 460/2 की 0.275 है0 खसरा सं0 484/2 की 1.329 है0 खसरा सं0 485/2 की 0.166 है0 कुल 1.770 है0 बारानीएवं गुंजासरी के खसरा सं0 12/1 की 0.9610 है0 तथा खसरा सं0 14/1 की 2.290 है0 कुल 3.251 है0 बारानी जिसे नक्शा में हरे रंग से दर्शाया गया है।

चूंकि विवादित आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे । खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.11.17... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 119/17

अनवान :

1. महावीर प्रसाद
2. मगनीराम
3. रामसिंह

पुत्रान सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)

– वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र नंदा जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सावित्री
3. बिमला
4. इन्द्रोदेवी
5. निर्मला

पुत्रियां सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. कृष्णलाल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दाबा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्त0 अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री किसानलाल यादव : वादी

निर्णय **दिनांक : 20.11.17**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव गुजासरी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 76/78 के खसरा सं0 12/1 की 0.961 है0 खसरा सं0 14/1 की 6.274 है0 कुल 7.233 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम तथा गांव करनपुरा बारानी के खसरा सं0 460/3 में 0.993 है0 खसरा सं0 484 की 2.934 है0, खसरा सं0 485/1 की 0.458 है0 कुल 4.385 है0 बारानी जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 4.132 है0 तथा प्रतिवादी सं0 6 के नाम 0.253 है0 खातेदारी दर्ज है तथा गांव करनपुरा बारानी के खाता सं0 189/185 खसरासं0 715/474 की 1.764 है0 वादी सं0 2 के नाम तथा करनपुरा बारानी के खाता सं0 211/210 के खसरा सं0 473 की 1.682 है0 वादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 5 प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र पुत्रियां है व प्रतिवादी सं0 6 प्रतिवादी सं0 1 का पौत्र है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5

प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र पुत्रियां होने के कारण उनका मद सं0 1 में वर्णित वाद भूमि में जन्म से हक एवं हिस्सा है। उक्त भूमि दादालाई पैतृक सम्पत्ति है।

वाद भूमि गांव गुजासरी तथा करनपुरा बारानी की भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है, संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है। यह भूमि पहले वादीगण के दादा नंदा के नाम की तथा नंदा के नाम होने के बाद में विरासतन प्रतिवादी सं0 1 के नाम बतौर परिवार का कर्ता होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हुई है। वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। कानूनन वादभूमि के वादीगण तीनों प्रतिवादी के साथ बराबर के हकदार है। वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम गलत तौर से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी सं0 1 काफी वृद्ध हो चुका है तथा उसने स्वयं ने कृषि भूमि को बंटवारा करके तीनों वादीगण को दे दिया है। प्रतिवादी सं0 2 ता 5 जो वादीगण की सगी बहनें है जिनकी आज से करीब 20.25 वर्ष पहले शादी कर दी एवं शादी के बाद से ही वे अपने ससूराल में आबाद है। शादी में वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 ने काफी खर्चा किया तथा शादी के बाद में भात छूछक एवं अन्य सामाजिक रिति रिवाज पर भी वादीगण ने काफी खर्चा किया है। इसलिए प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने वाद भूमि में अगर उनका कोई हक व हिस्सा था तो उन्होने वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादीगण के परिवार व समाज में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों द्वारा हक लेने का रिति रिवाज भी नहीं है। सामाजिक तौर से पुत्रियां अपने पिता की सम्पत्ति में कोई हक नहीं लेती है तथा अपने भाईयों के हक में हक का परित्याग कर देती है। उसी परम्परा के अनुसार प्रतिवादीगण ने भी अपनी स्वतंत्र इच्छा सहमति एवं बिना किसी दबाव के अपना जो भी हक व हिस्सा बनता था, वह वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने छोड़ दिया है। इसलिए अब उनका वादभूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।

प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज दादालाई पैतृक सम्पति के अलावा तीनों वादीगण ने संयुक्त सरमाए की सम्पत्ति से आय अर्जित करके वादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि खरीद की हुई है, जो कृषि भूमि को मिलाकर के सभी चारों खातों की भूमि का इकजाई बंटवारा वादीगण ने आपसी सहमति एवं परिवार की भलाई के लिए बैठकर के पारिवारिक बंटवारानामा के अनुसार वादी सं0 1 व मगनीराम वादी सं0 2 के नाम जो कृषि भूमि है, उतना हिस्सा उनका प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में अधिक हिस्सा मिलेगा। ताकि तीनों वादीगण की सारी भूमियों में से बराबर के हकदार हो सके एवं परिवार में शान्ति एवं भाईचारा बना रहे। प्रतिवादी सं0 1 का हालांकि वाद भूमि में हक व हिस्सा था लेकिन उन्होने वृद्धावस्था के कारण तथा वादीगण प्रतिवादीगण सं0 1 के पुत्र होने के कारण आपसी प्रेम, स्नेह एंव सेवाचार से खुश होकर के उन्होने अपना जो भी हक व हिस्सा था, वह वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया और अब उसका भी वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। प्रतिवादी सं0 6 के नाम भी दर्ज भूमि इसी बंटवारा में शामिल करके हमने पारिवारिक बंटवारानामा किया है तथा इसी अनुसार वादीगण अपने हक की घोषणा करवाकर उसमें से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का नाम कलमजन करवाकर वाद भूमि अकेले मुताबिक पारिवारिक बंटवारानामा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनाामा पेश किया। प्रतिवादीगण सं0 7 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी ने स्वयं वादी महावीर प्रसाद पीडब्ल्यु 1 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गुंजासरी खाता सं0 76/78 सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुराबारानी खाता सं0 188/185 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा खाता सं0 211/210 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा खाता सं0 165/161 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा खाता सं0 166/162 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 5, असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, नजरी नक्शा चक गुंजासरी प्रदर्श 7, नजरी नक्शा ग्राम करनपुरा बारानी प्रदर्श 8, फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम करनपुरा सम्वत् 2019 प्रदर्श 9, फोटो प्रति जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम गुंजासरी सम्वत् 2009 से 12 प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक करणपुरा बारानी, गुजासरी की अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवा खाता विभाजन करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम करनपुरा सम्वत् 2019 प्रदर्श 9, फोटो प्रति जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम गुंजासरी सम्वत् 2009 से 12 प्रदर्श 10 से विवादित आराजी दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं जो वारिसा प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रस्तुत किया है उसमें सुरजाराम के मौजूदा वारिसान में 3 पुत्र महावीर, मगनीराम व रामसिंह एवं 4 पुत्रियां सावत्री, बिमला, इन्द्रो देवी, निर्मला होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव गुजासरी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 76/78 के खसरा सं0 12/1 की 0.961 है0 खसरा सं0 14/1 की 6.274 है0 कुल 7.233 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम तथा गांव करनपुरा बारानी के खसरा सं0 460/3 में 0.993 है0 खसरा सं0 484 की 2.934 है0, खसरा सं0 485/1 की 0.458 है0 कुल 4.385 है0 बारानी जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 4.132 है0 में वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वादीगण ने अपने दावा में घोषणात्मक अनुतोष के साथ साथ खाता विभाजन का अनुतोष भी चाहा है जिसकी बाबत भी पक्षकारान ने मुताबिक राजीनामा सहमति से नजरी नक्शा संलग्न करवाया है। जिसके अनुसार विवादित आराजी पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

1. महावीर प्रसाद वादी सं0 1 के हिस्सा में : करणपुरा बारानी के खसरा सं0 484/3 की 1.289 है0, खसरा सं0 485/3 की 0.229 है0 कुल 1.518 है0 बारानी तथा गांव गुंजासरी के खसरा सं0 14/1 की 1.5685 है0 बारानी कृषि भूमि जिसे नक्शा में नीले रंग से दर्शाया गया है।
2. प्रतिवादी सं0 6 कृष्णलाल के हिस्सा में खसरा सं0 484/4 की 0.253 है0 जिसे नक्शा में भूरे रंग से दर्शाया गया है।
3. मगनीराम वादी सं0 2 के हिस्से में : गांव करनपुरा बारानी के खसरा सं0 460/1 की 0.718 है0 खसरा सं0 484/1 की 0.063 है0 खसरा सं0 485/1 की 0.063 है0 कुल 0.844 है0 बारानी तथा गांव गुंजासरी के खसरा सं0 14/1 की 2.4155 है0 बारानी जिसे नक्शा में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।
4. रामसिंह वादी सं0 3 के हिस्से में : करनपुरा बारानी के खसरा सं0 460/2 की 0.275 है0 खसरा सं0 484/2 की 1.329 है0 खसरा सं0 485/2 की 0.166 है0 कुल 1.770 है0 बारानीएवं गुंजासरी के खसरा सं0 12/1 की 0.9610 है0 तथा खसरा सं0 14/1 की 2.290 है0 कुल 3.251 है0 बारानी जिसे नक्शा में हरे रंग से दर्शाया गया है।

चूंकि विवादित आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे । खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़